

बीईएल के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य

बीईएल के अधिकारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य:

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रक्षा मंत्रालय के तहत एक वाणिज्यिक संगठन है। कंपनी के अधिकारियों की शक्तियाँ संगठन के सभी स्तरों में सुपरिभाषित हैं। अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समय-समय पर उनके कर्तव्य सौंपे जाते हैं।

नियम / आदेश जिनके द्वारा शक्तियाँ एवं कर्तव्य तय किए जाते हैं:

निदेशक मंडल द्वारा अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक को शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हैं।

शक्तियों का उप-प्रत्यायोजन -

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक को प्रदान की गई शक्तियों के तहत, इन शक्तियों को कार्यशील निदेशकों, कार्यपालक निदेशकों, महाप्रबंधकों तथा अन्य कार्यपालकों को उप-प्रत्यायोजित किया गया है ताकि वे अपने उत्तरदायित्वों के अनुरूप अपने कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन कर सकें।

इन शक्तियों को संगठन की ज़रूरतों पर निर्भर करते हुए और साथ ही, लोक उद्यम विभाग (डीपीई) और प्रशासनिक मंत्रालय यानी रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, समय-समय पर संशोधित किया जाता है। शक्तियों का उप-प्रत्यायोजन वर्ष 2022 में संशोधित किया गया।

अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हुए कर्मचारी कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा अन्य लागू सांविधि, नियमों तथा विनियमों का अनुपालन करते हैं।

शक्तियों का प्रयोग - शक्तियों के उप-प्रत्यायोजन में कर्मचारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है।

कार्य आबंटन - संगठन की ज़रूरतों के आधार पर कर्मचारियों को आबंटित कार्य।